न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय **स्वत्व वाद सं0-91/14**
अवर न्यायाधीश तृतीय **सीआईएस संख्या -938/18**
अरेराज, पूर्वी चम्पारण। **आदेश** **दिनांक 29.1.2024**

दिनांकः 29.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 02.08.2023 को आदेश 22 नियम 4 तथा 22 नियम 9 व्यवहार प्रकिया संहिता में प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी सं0 2 झीगन पासवान की मृत्यु दिनांक 14.06.2023 को हो गयी है । यह कि उनका नाम कलमजद कर उनके वारिसान उनकी पत्नी बेदामिया कुंवर जौजे स्व0 झीगन पासवान, ज्ञानी पासवान, महेश पासवान दोनों पिता झीगन पासवान, जोखनी देवी, चिंता देवी, मेइनी कुंवर सभी पिता स्व0 झीगन पासवान का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन को विरोध करते हुए आवेदन को अस्वीकृत करने की प्रार्थना की गयी।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 10 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी सं0 2 झीगन पासवान की मृत्यु दिनांक 14.06.2023 को हो गयी है । यह कि उनका नाम कलमजद कर उनके वारिसान उनकी पत्नी बेदामिया कुंवर जौजे स्व0 झीगन पासवान, ज्ञानी पासवान, महेश पासवान दोनों पिता झीगन पासवान, जोखनी देवी, चिंता देवी, मेइनी कुंवर सभी पिता स्व0 झीगन पासवान का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। आवेदन के अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है और समय से दिया गया है अतः प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** करते हुए न्यायालय आदेश देती है कि मृत प्रतिवादी सं0 2 का नाम कलमजद किया जाए और आवेदन पत्र में वर्णित सभी वारिसों को प्रतिवादी 2 सिरिज के रूप में क्रमवार प्रतिस्थापित करें। एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश तृतीय
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।